कार्यालय छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, अटल नगर, नवा रायपुर
सेक्टर – 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
Phone No.- 0771-2972780, Website-vyapamcg.cgstate.gov.in, https://cgssb.cgstate.gov.in

क्रमांक/एस.एस.बी./दा.आ./2026/ 3821 रायपुर, दिनांक 18/09/26

सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर एवं विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक ग्रेड–3/प्रोसेस राइटर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा (LAG26) के प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर जारी करने के सम्बंध में

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल (पूर्व नाम व्यापम) द्वारा दिनांक **06.09.2026 (रविवार)** को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर एवं विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक ग्रेड–3/प्रोसेस राइटर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा **(LAG26)** में आयोजित किया गया था।

उपरोक्त भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर वेबसाइट **https://cgssb.cgstate.gov.in** पर दिनांक **18/09/2026** को प्रदर्शित किया जा रहा है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा–आपत्ति दिनांक **23/09/2026** अपरान्ह **3:00** बजे तक अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर दावा–आपत्ति टैब में जाकर दावा–आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। **डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा–आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।**

उक्त भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थी को दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न रू. 50/– दावा आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। बिना शुल्क भुगतान किये दावा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी।

पोर्टल पर दावा–आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड डालकर प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा–आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा–आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल दावा–आपत्ति पोर्टल में दिया गया है। कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें। दावा–आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लेवें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् पोर्टल पर दावा–आपत्ति स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा–आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा–आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा–आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

JSingh 18/9/26

संयुक्त नियंत्रक
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल
नवा रायपुर